



सरकार ने GSTN को PMLA के दायरे में शामिल किया

प्रलिस के लिये:

[PMLA](#), GSTN, [वित्तीय खुफिया इकाई](#), [वस्तु एवं सेवा कर](#) (GST)

मेन्स के लिये:

धन शोधन से निपटने के लिये भारत में कानूनी और नयामक ढाँचा, धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) और इसके उद्देश्य, धन शोधन का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने [वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क](#) (Goods and Services Tax Network- GSTN) को [धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002](#) (Prevention of Money Laundering Act- PMLA) के दायरे में लाए जाने हेतु एक अधिसूचना जारी की।

- यह बदलाव धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 66 (जो सूचना के खुलासे का प्रावधान करती है) के तहत किया गया है।

GSTN को PMLA के दायरे में शामिल करने का कारण:

- सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का उद्देश्य [धन शोधन](#) और [वस्तु एवं सेवा कर](#) संबंधी धोखाधड़ी से निपटने के प्रयासों को और मज़बूती प्रदान करना है।
- यह अधिसूचना वर्ष 2006 की अधिसूचना का संशोधित रूप है, इससे [PMLA अधिनियम, 2002](#) के प्रावधानों के तहत [GSTN](#), [प्रवरतन निदेशालय](#) (Enforcement Directorate- ED) और [वित्तीय खुफिया इकाई](#) (Financial Intelligence Unit- FIU) के बीच जानकारी के बेहतर साझाकरण की सुविधा प्राप्त होती है।
- हाल ही में फर्जी पंजीकरण के खिलाफ दो महीने की लंबी मुहिम में फील्ड कर अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन के लिये **9,600 से अधिक संदिग्ध GST पहचान संख्याओं को चहिनति** किया गया था।
 - इनमें से **59,000 से अधिक का सत्यापन** किया गया और **25%** के वषिय में कुछ खास जानकारी नहीं मिली।

वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (GSTN):

- [GSTN](#) भारत में [GST](#) के लिये एक अप्रत्यक्ष कराधान मंच प्रदान करता है।
- यह प्लेटफॉर्म करदाताओं को [रटिर्न दाखिल करने](#), [भुगतान करने](#) और [अप्रत्यक्ष कर नियमों का अनुपालन करने](#) में मदद करता है।
- यह [केंद्र और राज्य सरकारों](#), [करदाताओं](#) तथा [अन्य हतिधारकों](#) को सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढाँचा एवं सेवाएँ प्रदान करता है।
- [GSTN](#) एक सरकारी स्वामित्व और सीमिति देनदारी वाली गैर-लाभकारी कंपनी है। इसे वर्ष 2013 में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत शामिल किया गया था।
- इसमें एक अध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।
- [GSTN](#) बोर्ड ने [जून 2022](#) में आयोजित अपनी 49वीं बोर्ड बैठक में इसे सरकारी कंपनी में बदलने की मंजूरी दी, अतः इसमें **100% हस्सेदारी सरकार (50% केंद्र सरकार के साथ और 50% राज्य सरकारों एवं केंद्रशासति प्रदेशों के साथ संयुक्त रूप से)** के पास होगी।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002:

- पृष्ठभूमि:
 - धन शोधन/[मनी लॉन्ड्रिंग](#) के खतरे से निपटने के लिये भारत की वैश्विक प्रतिबिद्धता (वियना कन्वेंशन) के जवाब में PMLA अधिनियमित किया गया था। इसमें शामिल है:
 - [नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1988](#)

- सदिधांतों का बेसल वक्तव्य, 1989
- मनी लॉन्ड्रिंग पर वतितीय कार्रवाई टास्क फोरस की चालीस सफिरशैं, 1990
- वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्रवाई कार्यक्रम

■ परचिय:

- यह आपराधिक कानून है जो धन शोधन/मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिये बनाया गया है।
- यह मनी लॉन्ड्रिंग से नपिटने के लिये भारत द्वारा स्थापित कानूनी ढाँचे का मूल है।
- इस अधिनियम के प्रावधान सभी वतितीय संस्थानों, बैंकों (RBI सहित), मयुचुअल फंड, बीमा कंपनयिों और उनके वतितीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं।

■ उद्देश्य:

- आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से लूटी गई, उत्पन्न या अपराध के माध्यम से अर्जति की गई आय को अभगिरहति करना और जब्त करना।
- मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवादी वतितपोषण की रोकथाम के लिये एक कानूनी ढाँचा स्थापति करना।
- मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की जाँच तथा अभयिोजन के लिये तंत्र को मज़बूत और बेहतर बनाना।
- मनी लॉन्ड्रिंग तथा उससे संबंधित अपराधों के खलिाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना।

■ नयामक प्राधिकरण:

- **प्रवर्तन नदिशालय (ED):**
 - प्रवर्तन नदिशालय PMLA के प्रावधानों को लागू करने के साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जाँच के लिये उत्तरदायी है।
- **वतितीय आसूचना इकाई-भारत (FIU-IND):**
 - यह भारत सरकार के राजस्व वभिाग की इकाई है।
 - यह मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के बारे में वतितीय जानकारी एकत्र करती है।
 - PMLA, 2002 के अंतगत संचालित है।
 - PMLA की धारा 12 के तहत रपिर्टगि संस्थाओं को लेन-देन का रकिर्ड बनाए रखना आवश्यक है।
 - FIU-IND के नदिशक को नरिधारति लेन-देन पर जानकारी प्रसतुत करने के साथ ग्राहकों और लाभकारी मालकिों की पहचान सत्यापति करने की आवश्यकता होती है।
 - यह प्रवर्तन संस्थानों और वदिशी FIUs के साथ सहयोग करता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. 'वसतु एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्वसिज़ टैक्स GST)' के क्रयिान्वति कयि जाने का/के सर्वाधिक संभावति लाभ क्या है/हैं? (2017)

1. यह भारत में बहु प्राधिकरणों द्वारा वसूल कयि जा रहे बहु करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाज़ार स्थापति करेगा।
2. यह भारत के 'चालू खाता घाटे' को प्रबलता से कम कर उसके वदिशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु उसे सक्षम बनाएगा।
3. यह भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि एवं आकार को बृहद रूप से बढ़ाएगा और उसे नकिट भवषिय में चीन से आगे नकिल जाने योग्य बनाएगा।

नमिनलखिति कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
 (b) केवल 2 और 3
 (c) केवल 1 और 3
 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

[?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. चर्चा कीजयि ककिसि प्रकार उभरती प्रौद्योगकियिों और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से नपिटने के लिये कयि जाने वाले उपायों को वसितार से समझाइये। (2021)

प्रश्न. वसतु एवं सेवा कर (राज्यों को कषतपूरति) अधिनियम, 2017 के तरकाधार की व्याख्या कीजयि। कोवडि-19 ने कैसे वसतु एवं सेवा कर कषतपूरतिनिधि (जी.एस.टी कॉम्पेंसेशन फंड) को प्रभावति और नए संघीय तनावों को उत्पन्न कयि है? (2020)

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

